

प्ररूप—1 (नियम 15 देखें)

निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की सूचना

प्रेषित :

ग्राम सभा / पंचायत समिति / जिला परिषद्

..... जिला, हिमाचल प्रदेश,

के निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... के मतदाता।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निर्वाचक नामावली, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अनुसार तैयार की गई है और उसकी प्रति मेरे कार्यालय और ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों निरीक्षण के लिए कार्यालय समय में उपलब्ध है। यदि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा हो, या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी कोई आक्षेप हो या किसी प्रविष्टि में किन्हीं विशिष्टियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो तो उसे जहां तक समुचित हो प्ररूप 2, 3 और 4 में तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रत्येक ऐसा दावा या आक्षेपुनरीक्षण प्राधिकारी (पूरा पता) को सम्बोधित किया जाना चाहिए और यह या तो व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि उक्त तारीख के भीतर उसके पास पहुंच जायें।

स्थान.....

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)।

तारीख.....

प्र० २
[नियम १८(१) और २४ देखें]

नाम सम्मिलित करने के लिए दावा आवेदन

प्रेषित :

पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी,
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड
जिला हिमाचल प्रदेश।

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूं कि मेरा नाम ग्राम पंचायत
के लिए निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए।

मेरा पूरा नाम
मेरे पिता/माता/पति का नाम
मेरे निवास स्थान का विवरण :-
मकान संख्या
गली/मुहल्ला/ग्राम
डाकघर
तहसील और जिला

मैं एतद्वारा अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास से घोषणा करता/करती हूं कि :-

- मैं भारत का/की नागरिक हूं।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम १४ के अधीन खण्ड (इ) द्वारा अधिसूचित तारीख को मेरी आयु वर्ष मास थी/होगी।
- मैं प्रायः उपर्युक्त पता पर निवास करता/करती हूं।
- मैंने किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपने नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन नहीं किया है।
- मेरा नाम हिमाचल प्रदेश में उक्त या किसी अन्य ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है।

या

मेरा नाम ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या
विकास खण्ड जिला की निर्वाचक नामावली के
क्रमांक पर सम्मिलित किया गया है और मैं एतद्वारा निवेदन करता/करती हूं कि
उसे निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए।

स्थान
तारीख
.....

दावेदार के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा
(पूरा डाक पता)।

मैं निर्वाचक नामावली के उसी भाग में सम्मिलित हूं जिसमें दावेदार ने सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन किया है, अर्थात्..... है। सम्बन्धित भाग संख्या..... मेरा उसमें क्रमांक..... है। मैं इस दावे का समर्थन करता/करती हूं और इसे प्रतिहस्ताक्षरित करता/करती हूं।

.....
मतदाता के हस्ताक्षर
पूरा नाम व पता.....

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मुझे जानकारी है कि मेरे द्वारा दी गई सूचना किसी दशा में गलत साबित होती है तो मैं भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।

.....
जो अनावश्यक हो, उसे काट दें।

दावेदार के हस्ताक्षर

प्र० ३
(नियम १८ देखें)

नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप

प्रेषित :

पुनरीक्षण प्राधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र.....

महोदय,

मैं ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् में निर्वाचन क्षेत्र
के की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या..... पर श्री
के नाम को सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कारणों से आक्षेप करता हूँ :—

.....
.....

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है, मेरा नाम
इस निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है।

पूरा नाम
पिता/पति/माता का नाम
क्रम संख्या.....

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् से सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का
नाम तथा संख्या.....

.....

आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा
(पूरा डाक पता).....

मैं उसी निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक हूँ जिसमें आक्षेपित व्यक्ति का नाम है अर्थात
ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् से सम्बन्धित
निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित और संख्या..... मेरी उसमें क्रम संख्या..... है
मैं इस आक्षेप का समर्थन करता हूँ तथा इसको हस्ताक्षरित करता हूँ।

.....

निर्वाचक के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा
(पूरा डाक पता)

प्र० ४
(नियम १८ और नियम २३ देखें)

किसी भी प्रविष्टि में विशिष्टियों सम्बन्धी आक्षेप

प्रेषित :

पंचायत निर्वाचन के लिए
पुनरीक्षण अधिकारी,
.....निर्वाचन क्षेत्र।

निवेदन है किके निर्वाचन क्षेत्र^{.....}
की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या पर मेरे से सम्बन्धित
प्रविष्टि अशुद्ध है। इसे निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जायें:-
.....
.....

स्थान

तारीख

निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान
(पूरा डाक पता)

प्ररूप-5

{नियम 18(4) और 20(1) देखें}

ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला

क्रम संख्या	नाम, पिता का नाम व पता	दावा प्रस्तुत करने की तारीख	पक्षकारों की उपस्थिति में टिप्पणी सहित विनिश्चय की तारीख	विनिश्चय स्वीकृत अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6

पुनरीक्षण, प्राधिकारी के हस्ताक्षर	पुनरीक्षण अधिकारी के विनिश्चय की कार्यान्वयन करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख
7	8

प्रूप –6
{नियम 18(4) और 20(1) देखें}
नाम सम्मिलित किए जाने सम्बंधी आक्षेपों का रजिस्टर

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद.....निर्वाचन क्षेत्र.....

क्रम संख्या	वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में आक्षेप किया गया है	निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या	पिता/पति का नाम और पता तथा आक्षेपकर्ता का पता	आक्षेपकर्ता की निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या	आक्षेप प्रस्तुत करने की तारीख
1	2	3	4	5	6

पक्षकारी को उपस्थिति की बाबत टिप्पणी सहित विनिश्चय की तारीख	विनिश्चय स्वीकृत	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर अस्वीकृत	पुनरीक्षण अधिकारी के विनिश्चय को कार्यान्वयन करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख	
7	8	9	10	11

प्र॒र॒प-7
{नियम 18(4)
और 20(1) देखें}
प्रविष्टि की विशिष्टियों सम्बन्धी आक्षेप का रजिस्टर

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद.....निर्वाचन क्षेत्र.....

क्रम संख्या	आक्षेपकर्ता का नाम	आक्षेप प्रस्तुत करने की तारीख	निर्वाचक नमावली में यथा विद्यमान विशिष्टियां	आक्षेपकर्ता द्वारायथा आवेदित शुद्ध विशिष्टियां	विनिश्चय	
					स्वीकृत	अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	पुनरीक्षण अधिकारी के विनिश्चय को कार्यन्वित करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर तथा तारीख
8	9

प्रस्तुप—8

{नियम 19 (1) देखें}

दावों की सूची

ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद्

निर्वाचन क्षेत्र.....

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप—9

नाम सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी आक्षेपों की सूची

ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद्

निर्वाचन क्षेत्र

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-10
{नियम 19(1) देखें}

निर्वाचक नामावली में विशिष्टियों सम्बन्धी आक्षेप सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्या	आक्षेप करने वाले निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि की क्रम संख्या और भाग संख्या	आक्षेप का स्वरूप	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
1	2	3	4	5	6

.....
 पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० ११
{नियम १९(२) देखें}

दावे की सुनवाई की सूचना

प्रेषित :

(दावेदार का पूरा नाम और पता).....

.....

सन्दर्भ—आक्षेप संख्या.....

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आपके दावे की सुनवाई.....

.....(स्थान में).....बजे.....1[तारीख.....201.....]
को की जाएगी। आपको स्वयं या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे साक्ष्यों सहित जो आप प्रस्तुत करना चाहें,
सुनवाई के समय उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

स्थान.....

तारीख.....

.....
पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
निर्वाचन क्षेत्र।

प्र० १२
[नियम १९(२) देखें]

आक्षेप की सुनवाई के लिए सूचना

प्रेषित :

(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम व पता).....

सन्दर्भ—आक्षेप संख्या..... |

..... का नाम समिलित किए जाने के सम्बन्ध में आपके
आक्षेप पर सुनवाई (स्थान) में बजे दिनांक 201
{तारीख 201} को की जायेगी। आपको निर्देश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे साक्ष्यों सहित, जो आप प्रस्तुत करना चाहें, सुनवाई के समय
उपस्थित हों।

स्थान.....

तारीख.....

पुनरीक्षण प्राधिकारी

प्र० १३
[नियम १९(२) देखें]

निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि में प्रविष्टियों सम्बन्धी आक्षेप की सूचना

प्रेषित :

आक्षेपकर्ता का पूरा नाम तथा पता.....

सन्दर्भ.—आक्षेप संख्या.....।

आपसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के विषय में आपके आक्षेप की सुनवाई.....

स्थान में.....बजे1[तारीख.....201....] को होगी। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे साक्ष्य सहित जो आप तुरन्त करना चाहें सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान.....

तारीख.....

पुनरीक्षण प्राधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र।

प्ररूप—14
{ नियम 19(3) देखें }

आक्षेप की सुनवाई की सूचना

प्रेषित :

(उस व्यक्ति का नाम व पूरा पता जिसके सम्बन्ध में आक्षेप किया गया है).....

सन्दर्भ—आक्षेप संख्या.....

आपके नाम को ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्.....
की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या.....पर सम्मिलित किए जाने/हटाए जाने
सम्बन्धी (आक्षेपकर्ता का पूरा नाम व पता) के आक्षेप की सुनवाई
स्थान में बजे दिनांक 20.... को की जाएगी।

आपको निर्देश दिया जाता है कि आप स्वयं के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे साक्ष्यों सहित
जो आप प्रस्तुत करना चाहें सुनवाई के समय उपस्थित हों।

आक्षेप के आधार संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैः—

(क).....

(ख).....

(ग).....

स्थान.....

तारीख.....

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

..... निर्वाचन क्षेत्र।

{प्र॒र॒प—15
[नियम 21 (1) देखें]}

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की सूचना

सार्वजनिक जानकारी के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....(निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के प्रारूप में पुनरीक्षण प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेशित परिवर्धन/लोप (हटाया जाना) और शुद्धिकरण को उक्त प्रारूप नामावली में समाविष्ट कर दिया गया है या ऐसे संशोधनों की सूची हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अनुसार तैयार हो गई है और इस प्रकार शुद्ध (ठीक) की गई निर्वाचक नामावली की एक प्रति संशोधनों सूची सहित अंतिम रूप में प्रकाशित कर दी गई है।

स्थान

तारीख..... | }

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ।

प्ररूप—16
(नियम 23 देखें)

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि हटाए जाने के लिए आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
जिला (हिं0 प्र0)।

महोदय,

मैं यह निवेदन करता हूं कि निर्वाचन क्षेत्र की नामावली
की क्रम संख्या.....पर की गई प्रविष्टि जो श्री/श्रीमती
पुत्र/पत्नी/पुत्री से सम्बन्धित है, को हटा दिया जाये, क्योंकि वह व्यक्ति
निम्नलिखित कारणों से निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किये जाने का हकदार नहीं है :—

.....
.....

मैं ऐतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हूं तथा मेरा नाम क्रम
संख्या.....पर दर्ज है।

स्थान.....

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान
पूरा पता.....

*अनुचित शब्द काट दें।

टिप्पणी:—कोई व्यक्ति, जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है जिसको वह जानता है कि मिथ्या
या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है प्रवृत्त विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

प्रूप-17
(नियम 33 देखें)

निर्वाचक कार्यक्रम का नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि.....

- (1) ग्राम सभा के प्रधान/उप-प्रधान/ग्राम सभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य, पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य, जिला परिषद् के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य; निर्वाचित करने के लिए, जैसा, नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है, निर्वाचन किया जाना है।
- (2) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक द्वारा नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी को नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थान, तारीख और समय पर परिदत्त किए जा सकेंगे—

.....जिला की(तहसील) में(खण्ड)

अधिकारी जिसके समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे

जिला परिषद् का नाम	जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	ग्राम सभा का नाम	ग्राम सभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	जिला परिषद् के सदस्यों के लिए	पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए	ग्राम पंचायत के प्रधान और उप-प्रधान तथा सदस्यों के लिए	स्थान	तारीख और समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- (3) नामांकन पत्र के प्रूप, यथास्थिति, क्रमशः ग्राम पंचायत कार्यालय या स्तम्भ 7, 8, 9 में विनिर्दिष्ट, अधिकारी से और उक्त सारणी के स्तम्भ 10 और 11 में विनिर्दिष्ट स्थान और तारीख पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे।
- (4) यथास्थिति, स्तम्भ 7, 8, 9 में विनिर्दिष्ट, अधिकारी द्वारा उक्त सारणी के स्तम्भ 10 में विनिर्दिष्ट स्थान पर.....(समय).....(तारीख) को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थिता वापिस लेने के नोटिस को, यथास्थिति, अभ्यर्थी या इस प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रस्थापक द्वारा स्तम्भ 7 या स्तम्भ 8 या स्तम्भ 9 में विनिर्दिष्ट स्थान पर.....(तारीख) को.....तक (समय) परिदत्त किए जा सकेंगे।

- (6) अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिए नियत समय के अवसान के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति, उक्त स्तम्भ 7 या स्तम्भ 8, स्तम्भ 9 में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आबंटित किए जाएंगे और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची अपने कार्यालय के बाहर चिपकायेगा।
- (7) निर्वाचन करवाए जाने की दशा में मतदान.....नीचे दी गई सारणी में दी गई तारीख और स्थान पर.....और.....(समय) के बीच होगा।
- (8) मतदान के सम्पूर्ण होने पर मतगणना निम्न सारणी में दिए गए स्थान, तारीख और समय पर आरम्भ की जायेगी और गणना के पश्चात् परिणाम घोषित किया जाएगा।

सारणी

जिला परिषद् का नाम	जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति निर्वाचन की संख्या व नाम	ग्राम सभा का नाम	ग्राम सभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	मतदान की तारीख	मतगणना का स्थान	मतगणना की तारीख और समय	ग्राम पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान और सदस्य के परिणाम की घोषणा का स्थान, तारीख और प्राधिकृत अधिकारी का नाम	पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के परिणाम की घोषणा के लिए स्थान और तारीख और प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

स्थान

तारीख

जिं० निं० अ० (पंचायत)।

जो लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी।—एक ही निर्वाचन या उप-निर्वाचन की स्थिति में उक्त सारणियों के स्तम्भ/स्तम्भों को जो लागू नहीं होते हैं, भरने की आवश्यकता नहीं है।

प्र० १८
(नियम ३५ देखें)

नामांकन पत्र

'ग्राम सभा के (निर्वाचन क्षेत्र) से सदस्य का निर्वाचन।

'ग्राम सभा से प्रधान का निर्वाचन।

*ग्राम सभा से उप-प्रधान का निर्वाचन।

*पंचायत समिति के निर्वाचन * क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन।

*जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन।

मैं उक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का नामांकन करता हूँ :—

अभ्यर्थी का नाम पिता या पति का नाम
डाक पता उसका नाम ग्राम सभा/पंचायत समिति/जिला
परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में
क्रम संख्या पर दर्ज है।

मेरा नाम ग्राम सभा/पंचायत समिति/जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र
के लिए निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या पर दर्ज है।

तारीख प्रस्थापक का नाम और हस्ताक्षर।

मैं उपर्युक्त, अभ्यर्थी, इस नामांकन से अनुमत हूँ और एतद्वारा घोषणा करता
हूँ कि.—

(क) मैंने वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है;

(ख) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने राज्य सरकार, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,
जिला परिषद् या सहकारी सोसाईटी से सम्बन्धित या उन द्वारा या उनकी ओर से पट्टे पर ली
गई अथवा अधिगृहीत किसी भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है, और विधि के अधीन किसी अन्य
निरहता से भी ग्रस्त नहीं हूँ;

(ग) मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो अनुसूचित
जाति/जनजाति है।

- (घ) मैंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 (2) के अधीन यथा अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया 'प्रमाण-पत्र' संलग्न कर दिया है।
- (ङ) मैंने न तो कभी स्वापक पदार्थ का उपयोग करूँगा/करूँगी और न ही पोस्त, अफीम और गाँजे (भांग) की खेती करूँगा/करूँगी तथा अन्यों को स्वापक पदार्थ का उपयोग न करने और पंचायत क्षेत्र में पोस्त, अफीम और गाँजे (भांग) की खेती न करने के लिए भी प्रेरित करूँगा/करूँगी।

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या..... यह नामांकन पत्र मुझे अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा
 (स्थान) पर.....(समय) पर.....(तारीख) को परिदक्षि किया गया था।

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर।

(नामांकन पत्र को मंजूर या नामंजूर करने का रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय)

मैंने विधि के अनुसार नामांकन पत्र की परीक्षा कर ली है और मेरा विनिश्चय निम्नलिखित है।—

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के नामांकन पत्र को न तो अस्वीकृत किया गया है, और न ही उसने अपनी अभ्यर्थिता वापिस ली है और इसलिए उसे (प्रतीक का नाम) एतद्द्वारा आबंटित किया जाता है।

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर।

नामांकन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा तथा नाम वापस लेने की सूचना (नोटिस)

(इस नामांकन पत्र के प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपा जाएगा)।

नामांकन पत्र की क्रम संख्या.....

ग्राम सभा के निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के निर्वाचन।

ग्राम सभा से प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचन।

पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के निर्वाचन।

जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के निर्वाचन।

के लिए अभ्यर्थी के नामांकन पत्र अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा मुझे(तारीख)(समय) पर मेरे कार्यालय में परिदृष्ट किए गए थे। सभी नामांकन पत्रों की(स्थान)(तारीख)(समय) पर संवीक्षा की जाएगी।

अभ्यर्थिता(तारीख)(समय) तक वापिस ली जा सकेगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिए नियत समय के अवसान के तुरन्त पश्चात् प्रतीक आबंटित किया जा सकेगा।

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर।

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।'' |

प्रूप 18-क
(नियम 35 (2) देखें)
(अदेय प्रमाण पत्र)

.....ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् कार्यालय.....

.....जिला.....

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत अभिलेख के अनुसार, श्री/श्रीमति/कुमारी.....

.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

.....निवासी ग्राम पंचायत.....ग्राम.....डाकघर.....

.....विकास खण्ड.....जिला.....हिमाचल पद्रेश से

पंचायत द्वारा अधिरोपित कर का कोई बकाया या सभा, समिति या जिला परिषद् को देय किसी प्रकार का बकाया या प्रतिधारित रकम, जो सभा, समिति या जिला परिषद् निधि का भाग है, की कोई रकम देय नहीं है।

सचिव
जिला परिषद्/पंचायत समिति.....

सचिव/सहायक.....

ग्राम पंचायत.....

विकास खण्ड.....

जिला.....

टिप्पणी:-ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

** “जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप—19
(नियम 36 देखें)

राज्य की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली
शपथ या प्रतिज्ञा का प्ररूप

मैं ग्राम पंचायत / पंचायत समिति
जिला परिषद् में भरे जाने वाले स्थानों के लिए नामांकित किया गया अभ्यर्थी
परमात्मा के नाम शपथ लेता हूं/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं कि और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण
रखूंगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

प्र०-20
(नियम 38 देखें)

नामांकन की सूचना

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिए निर्वाचन।
एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त निर्वाचन के लिए कि निम्नलिखित नामांकन आज.....
3 बजे दोपहर तक प्राप्त कर लिए हैं।

नामांकन पत्र की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु पता	पता	स्थान/पद जिसके लिए अभ्यर्थी नामांकित है	अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी की जाति/जनजाति का विवरण	निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी की क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	निर्वाचक नामावली में प्रस्तावक की क्रम संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी।

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

प्र०-21
{नियम 39(8) देखें}

विधिमान्य नामांकित अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के निर्वाचन
क्षेत्र से निर्वाचन। अभ्यर्थी का पता स्थान/पद।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	स्थान/पद

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्र०-22
{नियम (40) देखें}

अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना

*जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र सं0.....
 पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....
 ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....
 प्रधान/उप-प्रधान का ग्राम सभा से निर्वाचन।
 सेवा में,
 रिटर्निंग अधिकारी

मैं (नाम तथा पता) उक्त निर्वाचन के लिए नामांकित अभ्यर्थी एतद्वारा/सूचना देता हूँ कि मैं अभ्यर्थिता वापिस लेता हूँ।

स्थान.....
 तारीख..... विधिमान्य नामांकित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

यह सूचना मुझे अभ्यर्थी/श्री अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के प्रस्तावक/अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा.....(तारीख).....(समय) मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

तारीख..... रिटर्निंग अधिकारी।

*जो लागू न हो काट दें।

नाम के वापिस लेने के लिए रसीद
 (नोटिस परिदत्त करने वाले व्यक्ति को सौंपी जानी है)
 अभ्यर्थिता वापिस लेने का नोटिस

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी.....(नाम) द्वारा अभ्यर्थिता वापिस लेने का नोटिस/अभ्यर्थी के प्रस्तावक/अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मुझे.....(तारीख) को.....(समय) पर मेरे कार्यालय पर परिदत्त किया गया था।

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी
 निर्वाचन।

*जो लागू न हो काट दें।

प्र० २३
[नियम ४०(३) देखें]

अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के लिए
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन।

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने उक्त निर्वाचन से अपनी अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं वापिस ली हैं :—

अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	स्थान/पद जिसके लिए अभ्यर्थिता वापिस ली गई है	टिप्पणी
1	2	3	4
इत्यादि			

तारीख.....

समय.....

रिटर्निंग अधिकारी।

प्ररूप-24

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद् के लिए
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन।

तारीख.....

स्थान

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर ।

प्रूप-25
(नियम 43 देखें)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रूप

मैं ग्राम पंचायत खण्ड से सदस्य के निर्वाचन के लिए।

ग्राम पंचायत खण्ड के प्रधान/उप-प्रधान के निर्वाचन के लिए।

पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के सदस्य के लिए। जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र सं0..... में होने वाले उक्त निर्वाचन के लिए एतद्वारा श्री को सं0..... पर जो निर्वाचन के लिए स्थान नियत है निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूं।

स्थान

तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

मैं निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान

तारीख

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

अनुमोदित

स्थान

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर।

*जो लागू न हो काट दें।

प्ररूप—26
(नियम 44 देखें)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

..... ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के लिए
सदस्य के निर्वाचन। ग्राम पंचायत के प्रधान/उप—प्रधान जिला परिषद्/पंचायत समिति
के निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... के लिए सदस्य का निर्वाचन।

मैं को उक्त निर्वाचन के लिए एतद्वारा श्री
मतदान केन्द्र सं0..... पर जो मतदान के लिए स्थान नियत है, मतदान अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ।

स्थान

तारीख

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

मैं मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान

तारीख

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

मतदान अभिकर्ता की घोषणा जो पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उक्त निर्वाचन में, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो हिमाचल प्रदेश
पंचायती राज अधिनियम, 1994 और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध है।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए ।

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

स्थान

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

.....
*जो लागू न हो काट दें।

प्रूप-27
(नियम 45 देखें)

मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति

ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र से
निर्वाचन प्रधान ग्राम पंचायत के निर्वाचन।
उप-प्रधान ग्राम पंचायत के निर्वाचन। पंचायत समिति की
के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन। जिला परिषद्
के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी हूँ निम्नलिखित व्यक्तियों
को (स्थान) पर होने वाली मतगणना के लिए मतगणना के समय उपस्थित रहने के
लिए अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान
तारीख अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

मैं मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान
तारीख अभ्यर्थी अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतगणना अभिकर्ता की घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त निर्वाचन में, ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो हिमाचल प्रदेश
पंचायती राज अधिनियम, 1994 और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध है।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

स्थान
तारीख
मतगणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
रिटर्निंग अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

*जो लागू न हो काट दें।

प्रूप-28
(नियम 49 देखें)

निर्विरोध/सविरोध निर्वाचन में परिणाम की घोषणा

ग्राम सभा.....के निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्य का निर्वाचन।

ग्राम सभा.....से प्रधान का निर्वाचन। ग्राम सभा.....उप-प्रधान का निर्वाचन।

पंचायत समिति.....के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

जिला परिषद.....के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 49 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री.....पुत्र श्री.....पता.....के पद/
स्थान हेतु निर्वाचित हुआ है।

(हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....रिटर्निंग अधिकारी।

जो असंगत हो उसे काट दें।

यहां निम्नलिखित में से एक अनुकल्प अन्तः स्थापित करें जैसा संगत हो:-

- (1) ग्राम सभा.....के निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का पद।
- (2) ग्राम सभासे प्रधान का पद।
- (3) ग्राम सभाके उप-प्रधान का पद।
- (4) पंचायत समिति.....के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का पद।
- (5) जिला परिषद.....के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का पद।

1{ प्र०प-28क
{नियम 49-ख देखें }

रिटर्निंग आफिसर को सूचना का पत्र

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,
पंचायत
विकास खण्ड
जिला
(हिमाचल प्रदेश)।

श्रीमान्,

मैं उसी खण्ड (ब्लाक) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक मतदाता हूं और मेरा नाम ग्राम पंचायत समिति के बार्ड संख्या के लिए निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या पर प्रविष्ट (दर्ज) है। मैं उक्त पंचायतों के आगामी निर्वाचनों (चुनावों) में ग्राम पंचायत के बार्ड संख्या से अपना मत डालने हेतु आशयित हूं।

स्थान
तारीख

भवदीय,

मतदाता द्वारा घोषणा

..... के लिए निर्वाचन (इस तरफ (स्थान) का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब मतदाता घोषणा पर स्वयं हस्ताक्षर करता है) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ही वह मतदाता हूं जिसे उपर्युक्त निर्वाचन में क्रम संख्यावाला पोल ड्यूटी मतपत्र जारी किया गया है।

मतदाता के हस्ताक्षर।

तारीख.....

पता.....

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

.....मतदाता द्वारा उपर्युक्त घोषणा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं/जिसकी(पहचानकर्ता) जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं द्वारा मेरे समाधान हेतु पहचान करवाई गई है।

अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर, यदि कोई हो.....

पदनाम.....

पता.....

तारीख.....

प्ररूप-28ड
[नियम 49-ड (1) (घ) और 49-छ (1) देखें]

**मतदाताओं की जानकारी के लिए निर्देश
(पंचायतों के निर्वाचन में उपयोग किए जाएं)**

से के लिए • निर्वाचन।

व्यक्ति, जिनके नाम एतद्वारा भेजे गए मतपत्र पर मुद्रित किए गए हैं, उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप अपना मत, उस अभ्यर्थी, जिसे आप मत देना चाहते हैं, के नाम के विरुद्ध स्पष्टतः एक चिन्ह लगाकर, अभिलिखित (रिकार्ड) करें।

चिन्ह ऐसे लगाया जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति, जिसे आप अपना मत दे रहे हैं स्पष्टतया और संदेह से परे इंगित हो सके। यदि लगाया गया ऐसा चिन्ह संदेहास्पद लगता है कि किस व्यक्ति को आपने अपना मत दिया है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृप्या याद रखें कि आपके पास केवल एक मत है। तदनुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मतदान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित (रिकार्ड) करने के लिए अपेक्षित चिन्ह के सिवाय, अपने हस्ताक्षर नहीं करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिह्नित न करें अथवा जहां कहीं भी हस्ताक्षर या लेखन न करें।

मतपत्र पर अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात्, मतपत्र को एतद्वारा भेजे गए 'क' '।' चिह्नित छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफा बंद कर दें और इसे मोहर बंद या अन्यथा से सुरक्षित करें।

तब आप प्ररूप-28ख में घोषणा को हस्ताक्षरित करें।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित होने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात्, प्ररूप-28घ में दी गई घोषणा और मतपत्र युक्त 'क' '।' चिह्नित छोटे लिफाफे को भी 'ख' 'ठ' चिह्नित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त व्यक्तिगत तौर पर प्राधिकृत किसी अधिकारी को सौंप दें। 'ख' 'ठ' चिह्नित लिफाफे पर दिए गए स्थान पर आपको अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे।

• निर्वाचन के समुचित विशिष्टियों को यहां पर अन्तःस्थापित किया जाना है।

आप यह अवश्य सुनिश्चित करें कि लिफाफा,.....को•से• पहले रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी को दे दिया गया है। कृप्या नोट करें कि-

- (i) यदि आप उपर्युक्त इंगित रीति में अपनी घोषणा को अनुप्रमाणित या प्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा; और
- (ii) यदि लिफाफा,.....को•के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी.....(• यहां मतों की गणना के आरम्भ होने के लिए नियत घण्टे और तारीख को विनिर्दिष्ट करें)।

प्र०-29
{नियम 52(3) और 66 देखें}

मत पत्र लेखा

ग्राम पंचायत	के	निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।
ग्राम पंचायत	के प्रधान/उप-प्रधान का निर्वाचन।	
पंचायत समिति	के	निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यों का निर्वाचन।
जिला परिषद्	के	निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।
मतदान केन्द्र संख्या	क्रम संख्या कुल संख्या।	

	क्रम संख्या	कुल संख्या
1. मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए मत पत्र।
2. अप्रयुक्त मत पत्रों की संख्या
3. प्रयुक्त मत पत्र (1-2=3)
4. प्रयुक्त मत पत्रों की संख्या परन्तु मत पेटी में अन्तःस्थापित नहीं।
(क) रद्द किए मतपत्रों की संख्या
(ख) निविदत्त मतों के लिए प्रयुक्त मत पत्र
(ग) मुद्रण/लिखित गलती के लिए रद्द किए मत पत्रों की संख्या क+ख+ग
5. मत पेटी में मत पत्रों की संख्या (3-4=5)

स्थान.....

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

प्रूप-30
(नियम 58 देखें)

आक्षेपित मतों की सूची

1.....निर्वाचन के लिए आक्षेप किए गए मतों का विवरण ग्राम पंचायत
केनिर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन।
ग्राम पंचायतके प्रधान/उप-प्रधान के लिए निर्वाचन। पंचायत समिति
केनिर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन जिला परिषद्के
निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यों का निर्वाचन मतदान केन्द्र संख्या.....स्थान

क्र0 सं0	आक्षेपकर्ता का नाम	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में क्रम संख्या	ग्राम का नाम जिससे मतदाता सूची सम्बद्ध है	आक्षेप किए गए व्यक्ति का वर्तमान पता	आक्षेप किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान	पहचानकर्ता का नाम यदि कोई है	पीठासीन अधिकारी के आदेश	आक्षेपकर्ता के जमा प्रतिदाय प्राप्त करने पर हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्थान.....

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

प्र० ३१
(नियम ६३ देखें)

निविदत्त मतों की सूची

ग्राम पंचायत..... के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन। ग्राम पंचायत से प्रधान/उप-प्रधान का निर्वाचन। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन। जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन। मतदान केन्द्र संख्या.....

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में क्रम संख्या	ग्राम का नाम जिससे मतदाता सूची सम्बद्ध है	निविदत्त मत पत्रों की क्रम संख्या	उस व्यक्ति को जारी किए गए मत पत्र की क्रम सं० जिसमें पहले ही मतदान कर दिया हो	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

रथान
तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

प्र० ३२

(नियम ७५ देखें)

सदस्य के निर्वाचन के लिए गणना का परिणाम—शीट (रिजल्ट शीट)

ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या से मतदान केन्द्र संख्या

स्थान

क्रम संख्या	अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या
1	2	3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....

(ग) नोटा के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गए मतों की कुल संख्या (क+ख+ग).....

(ङ) निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

(च) टिप्पणियां.....

गणना का स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर (ग्राम पंचायत) या रिटर्निंग ऑफिसर
(ग्राम पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

प्र०८—३३

(नियम 75 देखें)

सदस्य के निर्वाचन के लिए विवरणिका (रिटर्न) का प्र०८

.....ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र संख्यासे सदस्य का निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

- (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
(ग) नोटा के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या.....
(घ) डाले गए मतों की कुल संख्या.....

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि नाम को सम्मृक्त रूप से सदस्य घोषित किया गया/की गई की सदस्य सम्मृक्त निर्वाचित किया गया है।

.....
रिटर्निंग ऑफिसर/रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

तारीख.....201.....

*स्थान के अभाव की दशा में पृष्ठ के पिछले भाग का प्रयोग किया जा सकेगा।

प्र० ३४

(नियम ७५ देखें)

प्रधान/उप-प्रधान के मतों की गणना की परिणाम शीट (रिजल्ट शीट)

ग्राम पंचायत.....

सम्मिलित मतदान केन्द्रों की संख्या.....

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....

(ग) नोटा के लिए डाले गए मत की कुल संख्या.....

(ई) निविदत्त मतों का कुल योग

(घ) डाले गए (क+ख+ग) मतों की कुल संख्या:

गणना का स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर/रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

*स्थान के अभाव की दशा में पृष्ठ के पिछले भाग का प्रयोग किया जा सकेगा।

प्ररूप—35

(नियम 75 देखें)

प्रधान/उप—प्रधान के निर्वाचन के लिए विवरणी (रिटर्न) का प्ररूप

ग्राम पंचायत

प्रधान/उप—प्रधान का निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या

(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या

(ग) नोटा के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गए मतों (क+ख+ग) की कुल संख्या.....

(ङ) निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि.—

नाम

पता

सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है

रिटर्निंग ऑफिसर/रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

स्थान :

तरीख

*स्थान के अभाव की दशा में पृष्ठ के पिछले भाग का प्रयोग किया जा सकेगा।

प्र० ३६

(नियम ७५ देखें)

पंचायत समिति के निर्वाचन में मतों की गणना की परिणाम शीट (रिजल्ट शीट)

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
१	२	३
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
(क)	विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....	
(ख)	अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....	
(ग)	नोटा के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या.....	
(घ)	डाले गए मतों (क+ख+ग) की कुल संख्या.....	
(ङ)	निविदत्त मतों की कुल संख्या.....	

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर / रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

*स्थान के अभाव की दशा में पृष्ठ के पिछले भाग का प्रयोग किया जा सकेगा।

प्ररूप—37

(नियम 75 देखें)

पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विवरणी (रिटर्न) का प्ररूप

पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

-
- (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
 (ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
 (ग) नोटा के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या.....
 (घ) डाले गए मतों की कुल संख्या.....

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि.—

नाम
 पता

सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ/हुई है।

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर।

*स्थान के अभाव की दशा में पृष्ठ के पिछले भाग का प्रयोग किया जा सकेगा।

प्र० ३८ (भाग-१)

(नियम ७५ देखें)

जिला परिषद के सदस्यों के मतों की गणना की परिणाम शीट (रिजल्ट शीट)

निर्वाचन क्षेत्र सं०.....

खण्ड स्तर की मतगणना

खण्ड में स्थित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं०.....के मतदान केन्द्रों की संख्या

के मतदान केन्द्रों की संख्या.....

क्रम संख्या	अभ्यर्थियों के नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
-------------	--------------------	---

1

2

3

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) अस्थीकृत मतों की कुल संख्या.....

(ग) नोटा के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गए मतों की कुल संख्या.....

(ङ) निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

मतगणना का स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर /रिटर्निंग ऑफिसर (परिषद्)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ।

*स्थान के अभाव की दशा में पृष्ठ के पिछले भाग का प्रयोग किया जा सकेगा।

प्र० ३८ (भाग-२)

(नियम ७५ देखें)

जिला स्तर की मतगणना

जिला परिषद् के सदस्य के मतों की गणना की परिणाम शीट (रिजल्ट शीट)

निर्वाचन क्षेत्र सं०.....

क्रम संख्या	अभ्यर्थियों के नाम	विभिन्न खण्डों में स्थित कुल मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या			
		खण्ड	खण्ड	खण्ड	योग
१	२	३	४	५	६

- (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
- (ख) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....
- (ग) नोटा के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या.....
- (घ) डाले गए कुल मतों (क+ख+ग) की संख्या.....
- (ड) निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

मतगणना का स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर / रिटर्निंग ऑफिसर (परिषद्)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ।

*स्थान के अभाव की दशा में पृष्ठ के पिछले भाग का प्रयोग किया जा सकेगा।

(नियम 75 देखें)

जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन की विवरणी (रिटर्न) का प्ररूप

.....जिला परिषद की निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

- (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
- (ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
- (ग) नोटा के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या.....
- (घ) डाले गए मतों की कुल संख्या.....

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि.—

नाम.....

पता.....

सम्यक रूप से निर्वाचित हुआ है/हुई है।

रिटर्निंग ऑफिसर।

तारीख.....

*स्थान के अभाव की दशा में पृष्ठ के पिछले भाग का प्रयोग किया जा सकेगा।

प्र०४०
(नियम 85 और 86 देखें)

{पंचायत समिति/जिला परिषद् के सदस्यों के लिए शपथ या निष्ठा पर किया गया प्रतिज्ञान या पंचायत समिति/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन}

सेवा में,

पदाधिकारी,
जिला परिषद्/पंचायत समिति

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 85/86 के अनुसरण में,
मैं (विहित प्राधिकारी) एतद्वारा सूचित करता हूँ कि जिला परिषद्/पंचायत समिति की बैठक.....(तारीख) को.....बजे.....स्थान) में अधिनियम की धारा 79/90 के अधीन जिला परिषद्/पंचायत समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन या, सदस्यों को शपथ या निष्ठा पर किए गए प्रतिज्ञान की अभिकथन करने के लिए बुलाई गई है।

स्थान.....
तारीख.....

विहित प्राधिकारी ।

जो लागू न हो काट दें।

प्ररूप—41

जिला परिषद् और पंचायत समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिए नामांकन-पत्र का प्ररूप

जिला परिषद्/पंचायत समिति का नाम

अभ्यर्थी का पूरा नाम

विवरण सहित मतगणना सूची की क्रम संख्या.....

पिता/पति का नाम पूरा पता

प्रस्तावक का पूरा नाम

समर्थक का पूरा नाम.....

{प्रस्तावक और समर्थक के हस्ताक्षर}।

स्थान

तारीख.....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा में एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं इस नामांकन से सहमत हूं और उक्त पद पर कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान

ਤਾਰੀਖ.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ।

प्रूप-42
(नियम 85 और 86 देखें)

जिला परिषद्/पंचायत समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के परिणामों का प्रकाशन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
मैं..... (विहित प्राधिकारी) जिला..... के जिला परिषद्/
पंचायत समिति, के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन परिणामों को निम्न प्रकार से प्रकाशित करता हूँ :—

क्रम संख्या	पिता/पति के नाम सहित नाम और पता	पद का नाम अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	निर्वाचित
1	2	3	4

स्थान.....

तारीख.....

विहित प्राधिकारी ।
जिला.....

प्ररूप—43

मैं इसके साथ निर्वाचन याचिका का याची, श्री / श्रीमती

उक्त याचिका में प्रत्यार्थी संख्या.....का.....से निर्वाचन को प्रश्नगत करते हुए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान करते हुए / शपथ लेते हुए कहता हूं कि :-

- (क) इसके साथ वाली निर्वाचन याचिका के पैरा.....में भ्रष्ट आचरण**किए जाने के बारे में किए गए कथन और इसके साथ उपाबद्ध पुनः सूची के पैरा.....में वर्णित ऐसे भ्रष्ट आचरण की विशिष्टि या मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है;

(ख) उक्त याचिका के पैरा.....में भ्रष्ट आचरण'.....किए जाने के बारे में किए गए कथन और उक्त याचिका के पैरा.....में ऐसे भ्रष्ट आचरण की तथा इसके साथ उपाबन्ध अनुसूची के पैरा.....में दी गई विशिष्टि मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है:

(ग)

(घ) इत्यादि

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर ।

आज.....[तारीख.....20.....] को मेरे समक्ष श्री/श्रीमती
द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ली गई।

कार्यकारी मैजिस्ट्रेट |

यहां निम्नलिखित अनुकूल्यों में से एक अन्तःस्थापित करें जैसा संगत हो:-

1. ग्राम सभा के निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का पद
 2. ग्राम सभा से प्रधान का पद।
 3. ग्राम सभा से उप-प्रधान का पद। के अध्यक्ष का पद.....
 4. पंचायत समिति.....से निर्वाचन क्षेत्र.....से सदस्य का पद।
 5. पंचायत समिति / जिला परिषद.....के अध्यक्ष का पद।
 6. पंचायत समिति / जिला परिषद.....के उपाध्यक्ष का पद।

**यहाँ पर भ्रष्ट आचरण का नाम विनिर्दिष्ट करें।

प्र॒र॒प 44
 {नियम 92(1) और 92(3) देखें}

निर्वाचन खर्च का दिन-प्रतिदिन का लेखा बनाए रखने और उसको प्रस्तुत करने के लिए प्र॒र॒प

1. पंचायत का नाम.....
2. अभ्यर्थी का नाम.....
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम.....
4. नामांकन फाईल करने की तारीख.....
5. परिणाम घोषित करने की तारीख.....

क्र0 सं0	खर्चे की तारीख	खर्चे का स्वरूप	खर्चे की राशि		संदाय की तारीख	पाने वाले का नाम और पता	संदत्त रकम की दशा में बाऊचरों की संख्या	परादेय रकम की दशा में बिलों की संख्या	व्यक्ति जिसे परादेय रकम संदेय है, का नाम और पता	विवरण
			संदत्त	परादेय						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि यह मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की सही प्रति है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

प्ररूप—45
{नियम 93(3) देखें}

निर्वाचन खर्चों का ब्लौरा

1. पंचायत का नाम.....
2. अभ्यर्थी का नाम.....
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम.....
4. नामांकन फाईल करने की तारीख.....
5. परिणाम घोषित करने की तारीख.....

खर्चे का मद	स्रोत जहां से धन प्राप्त किया गया	खर्चे की रकम	संदाय की तारीख	संदाय की रीति	लेखे के साथ संलग्न संदाय का साक्ष्य	लेखे विवरण के साथ संलग्न संदाय का साक्ष्य
1. प्रतिभूति निक्षेप पर खर्च						
2. निर्वाचक नामावली की प्रतियां क्रय करने पर खर्च।						
3. घोषणा—पत्रों, विज्ञापनों और इश्तहारों को छपवाने पर खर्च।						
4. इश्तहारों को चिपकाने का खर्च						
5. विज्ञापनों को दीवार पर लिखने और प्रकाशन पर खर्च।						
6. सार्वजनिक बैठकों, पंडालों इत्यादि के लिए स्थानों के भाड़ा प्रभार।						
7. सार्वजनिक बैठकों के लिए लाऊड स्पीकरों के भाड़ा प्रभार।						
8. अभ्यर्थी द्वारा यान पैट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैंट्स मुरम्मत इत्यादि के कारण भाड़ा प्रभार।						
9. निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रयोग किए यान पर मुरम्मत और पैट्रोल, तेल तथा ल्यूब्रीकैंट्स का भाड़ा प्रभार।						
10. उपर्युक्त सूचीबद्ध के अतिरिक्त अन्य विविध खर्च।						

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

प्रलूप—46
[नियम 93(3) देखें]

घोषणा प्रलूप

..... (पंचायत का नाम) के निर्वाचन क्षेत्र के जिला
निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री की घोषणा ।

मैं, पुत्र/पत्नी/पुत्री आयु..... वर्ष.....
निवासी एतद्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान करते हुए निम्नलिखित घोषणा
करता/करती हूँ—

1. यह कि मैं, (पंचायत का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी था/थी, जिसका परिणाम को घोषित किया गया था।
2. यह कि मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में (की तारीख) और (उसके परिणाम की घोषणा की तारीख) दोनों तारीखें सम्मिलित करके, के बीच मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत सभी खर्च का (..... पृष्ठों पर लगातार) पृथक और सही लेखा रखा है।
3. यह कि उक्त लेखा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 92 के अधीन विहित प्रलूप में बनाया गया था और उसकी सही प्रति उक्त लेख में वर्णित समर्थन के रूप में वाऊचरों/बिलों के साथ इसमें उपाबद्ध है।
4. यह कि इसमें उपाबद्ध मेरे निर्वाचन खर्च के लेखे के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत या उपगत किए गए निर्वाचन खर्च की सभी मदें हैं और उसमें से कुछ भी छिपाया या विद्यारित किया/दबाया नहीं गया है।
5. यह कि पूर्ववर्ती कथन के पैराग्राफ 1 से 4 में, मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सब सत्य है और कुछ भी मिथ्या नहीं है और कुछ भी सारवान् तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी ।

आज तारीख 20 को मेरे द्वारा समक्ष सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान किया
गया ।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के हस्ताक्षर/मुद्रा
जिला हिमाचल प्रदेश ।

प्ररूप—47
{नियम 92(4) देखें}

आभिस्वीकृति

श्री (निर्वाचन लड़ने वाला अन्यर्थी)
(निर्वाचन क्षेत्र) से जिसका परिणाम (तारीख) घोषित किया गया था, उसके द्वारा फाईल
किया निर्वाचन खर्च का लेखा और समर्थित घोषणा, विहित प्ररूप पर मैंने आज (तारीख)
(मास) (वर्ष) को प्राप्त कर ली है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
जिला हिमाचल प्रदेश।